सूचना

मेरे मुवक्किल के निर्देश पर यह सूचना दी जाती है कि **मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड** और **मेसर्स नेस्ले इंडिया लिमिटेड** के नीचे उल्लिखित इक्विटी शेयरों के प्रमाणपत्र खो गए हैं/गलत जगह पर रख दिए गए हैं। बिना ट्रांसफर डीड के और उन्हें आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया गया है। **मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड** और मेसर्स **नेस्ले इंडिया लिमिटेड** को इसकी उचित सूचना दे दी गई है। मैंने/हमने डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन किया है।

क्र सं	शेयरधारक का नाम	कंपनी का नाम	फोलियो	प्रमाणपत्र नंबर	विशिष्ट नंबर	शेयर की संख्या
1	स्वर्णा वल्ली एस	कोफोर्ज लिमिटेड	NTL2517	2546	10940203 - 10940253	56 शेयर 10/- रुपये का भुगतान
				7532	39246736 - 39246763	28 शेयर 10/- रुपये का भुगतान
2	एम. शशिकला लुनावत और मदन लाल जैन संयुक्त रूप से	नेस्ले इंडिया लिमिटेड	Z51362	838928	91185004 - 91185028	25 शेयर 10/- रुपये का भुगतान

किसी भी व्यक्ति को, जिसका उक्त शेयरों के संबंध में दावा है, उसे ऐसा दावा अलग से कंपनी के पास दस्तावेज प्रमाण के साथ **मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड** के पंजीकृत कार्यालय नंबर 8, बालाजी एस्टेट, तृतीय तल, गुरु रविदास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली- 110019 और **मेसर्स नेस्ले इंडिया लिमिटेड** के पंजीकृत कार्यालय नंबर 100/101 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बाराखंभा लेन, नई दिल्ली 110 001 पर दर्ज कराना चाहिए तथा दोनों कंपनियों के लिए इसका आरटीए मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, अलंकित हाउस, 4ई/2 झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055 को इस तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए अन्यथा **मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड** और/या **मेसर्स नेस्ले इंडिया लिमिटेड** क्रमशः उपरोक्त फोलियो के लिए डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

स्थान: चेन्नई
दिनांक : 07.05.2025

वकील/अधिवक्ता का नाम
श्री शिवसुब्रमण्यम

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

निगमित कार्यालय / प्रधान कार्यालय : जीआईसीएचएफएल, नेशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग, 6ठवां तल, 14, जमशेदजी टाटा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई- 400020, दूरभाष सं.: 022- 43041900, ईमेल : corporate@gichf.com, वेबसाइट : www.gichfindia.com
दिल्ली शाखा कार्यालय : यूजीएफ-10 ए ई कंचनजंगा बिल्डिंग, 18, बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, दिल्ली- 110001,
कार्यालय दूरभाष : 011-23356430 / 23731669, शाखा मेल आईडी : delhi@gichfindia.com,
संपर्क विवरण : प्रदीप सिंह - 8851292527 / 6396538102

ई-नीलामी विक्रय सूचना

ई-नीलामी तिथि : 10-06-2025 / बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 09-06-2025

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जीआईसीएचएफएल)** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्नलिखित उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं को मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें उनसे उक्त सूचना में उल्लिखित बकाया देय राशि का प्रतिभुगतान करने का आह्वान किया गया था। हालाँकि, उधारकर्ता / बंधककर्ता उक्त देय राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे हैं, अतएव अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत एवं धारा 14 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक अधिग्रहण कर लिया है।

क्र. सं.	ऋणकर्ता / सह-ऋणकर्ता / गारंटर का नाम / ऋण फाइल नं. / शाखा का नाम	संपत्ति पता / संपत्ति क्षेत्रफल (वर्ग फुट में निर्मित)	मांग सूचना निर्गतन तिथि	भौतिक अधिग्रहण की तिथि	06.05.2025के अनुसार कुल बकाया (पीओएस, ब्याज एवं अन्य शुल्कों सहित) (रूपये में)	आरक्षित मूल्य (रूपये में)
1.	**जया प्रदीप / प्रदीप नायर /** UP0110610004890	सेक्टर 1, वसुंधरा, गाजियाबाद, तहसील और जिला गाजियाबाद (यू.पी.) में स्थित फ्री होल्ड प्लॉट संख्या 1/496 पर फ्लैट संख्या एफ.एफ.-3, एल.आई.जी. टाइप, प्रथम तल पर, पीछे की ओर, (बिना छत के अधिकार के), जिसमें एक बेडरूम, एक ड्राइंग- कम-डाइनिंग रूम, एक रसोई, एक शौचालय और बालकनी है, निर्मित **क्षेत्रफल 376.76 वर्ग फुट है।**	17.09.2018	24.04.2024	44,91.139/-	19,50,540/-
2.	**उमेश अरोड़ा / प्रोमिला अरोड़ा /** HR0110610004463	फ्लैट संख्या-एफएफ-202, नीचे के भूखंड में आनुपातिक हिस्सा, खसरा संख्या 4236/1748 के अंतर्गत निर्मित प्लॉट संख्या 69/8 पर, आवासीय कॉलोनी जिसे ओल्ड डीएलएफ कॉलोनी गुड़गांव के नाम से जाना जाता है, तहसील और जिला गुड़गांव हरियाणा में स्थित **(निर्मित क्षेत्रफल 700 वर्ग फुट।)**	20.04.2023	22.10.2024	62,51,201/-	35,34,638 /-
3.	**आशीष अग्रवाल/ श्रीमती सुषमा अग्रवाल /बालमुकुंद अग्रवाल (मृतक) अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से /** DL0111300107218	ब्लॉक-ए, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन II, गांव पासोंडा, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित भूतल पर आवासीय फ्लैट नंबर जी-7, बिना छत अधिकार के, सुपर कवर्ड एरिया 800 वर्ग फीट, एमआईजी टाइप, जिसमें एक लिविंग-कम- डाइनिंग रूम, दो बेडरूम, दो बाथरूम-कम-शौचालय, एक किचन शामिल है, जो फ्री होल्ड प्लॉट नंबर ए-13 का हिस्सा है। **निर्मित क्षेत्र 700 वर्ग फुट।**	12.10.2022	27.08.2024	34,77,660/-	24,50,762/-
4.	**जिनेन्द्र कुमार / नीतू सेहरावत /** DL0110610003061	फ्लैट नंबर यूजीएफ-105ए, फ्लोर नंबरः ऊपरी भूतल , खसरा नंबर 774/26 और 774/27 (पुराना नंबर- 774/11 मिन) बिल्डिंग का नामः रॉयल रेजीडेंसी, टॉवर ए, लैंड माकः पटेल विद्या निकेतन के पास, गांवः डेरा मंडी, तालुकाः महरौली, राज्यः दिल्ली, पिन कोडः 110047 **(निर्मित क्षेत्र 1032 वर्ग फीट)**	27.07.2023	08.10.2024	42,38,115/-	33,39,250/-
5.	**अनूप जेम्स /** DL0111300105041	ए-78/जी -2, भूतल,केवल सीलिंग लेवल तक, एलआईजी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नंबर ए-78 का हिस्सा होने के नाते, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन, गांव के क्षेत्र में :ब्रह्मपुरा उर्फ घ्घ्मोपुरा, तहसील और जिला गाजियाबाद यू.पी.-201005 **(निर्मित क्षेत्र 400 वर्ग फुट।)**	18.06.2021	13.09.2024	7,37,137/-	14,36,875/-
6.	**मनोज सिंह /** UP0110610003369	खसरा नं. 11 पर गुलशन होम्स, साईं गार्डन कॉलोनी, गांव शाहबेरी, परगना और तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201009 में स्थित प्लॉट नंबर 189 में फ्लैट नं. 202 द्वितीय तल (छत के अधिकार के बिना) **(निर्मित क्षेत्र 535 वर्ग फुट।)**	18.06.2021	09.12.2024	19,67,226/-	9,11,250/-
7.	**चेतन वर्मा /** UP0110610002943	साईं गार्डन गांव शाहबेरी परगना और तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201009 में स्थित- खसरा संख्या-143ए, प्लॉट संख्या 62 और 63 में से, फ्लैट संख्या एफएफ 03 प्रथम तल, (1 बीएचके) (बिना छत अधिकार के) **(निर्मित क्षेत्रफल 333.67 वर्ग फुट।)**	18.06.2021	18.02.2025	16,22,987/-	7,20,000/-
8.	**गुरुशरण सिंह / नीतू कुमारी /** UP0110610004600	फ्लैट नं. 300 (तीसरी मंजिल) (बिना छत अधिकार के), प्लॉट नंबर 94, 95 और 96 खसरा नंबर 139, कॉलोनी साई गार्डन 2, एपीएस रॉयल होम्स, शाहबेरी परगना और तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201009 **(निर्मित क्षेत्र 405 वर्ग फुट।)**	10.07.2021	18.02.2025	17,09,759/-	8,52,840/-
9.	**मुकेश कुमार झा /** UP0110610003217	फ्लैट संख्या टीएफ-04, तीसरी मंजिल (बिना छत के) प्लॉट संख्या 62 और 63, खसरा संख्या 143 ए, साई गार्डन गांव शाहबेरी परगना और तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201009। **(निर्मित क्षेत्रफल 473.58 वर्ग फुट)**	17.09.2018	18.02.2025	30,48,475/-	7,77,600/-
10.	**मनीष कुमार सिन्हा/ रंजीता कुमार/** UP0110610003426	''फ्लैट नं. 203 द्वितीय तल (छत के अधिकार के बिना); यानी 41.80 वर्ग मीटर, प्लॉट नंबर-7,खसरा नंबर-11 महावीर हंस, साईं गार्डन कॉलोनी गांव शाहबेरी, परगना और तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर यू.पी. - 201009 **(निर्मित क्षेत्रफल 450 वर्ग फुट)**	04.11.2019	18.02.2025	16,76,139/-	6,52,320/-
11.	**राजेश कुमार /** UP0110610005043	''फ्लैट नंबर जीएफ -1, भूतल,(फ्रंट साइड) बिना छत अधिकार के(एमआईजी),प्लॉट नंबर-जी-9/2,आवासीय कॉलोनी डीएलएफ, अंकुर विहार, गांव सादुल्लाबाद, परगना लोनी तहसील लोनी जिला गाजियाबाद उ.प्र. - 201102 **(निर्मित क्षेत्र 550 वर्ग फुट)**	10.07.2023	23.01.2025	22,23,933/-	16,20,000/-
12.	**शेखर/ उमा देवी /** DL0110610007467	निर्मित संपत्ति प्लाट संख्या 83-बी का बिना छत/छत के अधिकार के सम्पूर्ण ऊपरी तल, खसरा संख्या 66/3 ग्राम हस्तसाल के राजस्व संपदा में, दिल्ली राज्य दिल्ली, कॉलोनी ओम विहार, ब्लॉक-जी, उत्तम नगर, नई दिल्ली 110059 **(निर्मित क्षेत्र 675 वर्ग फुट)**	07.11.2023	24.03.2025	30,38,102/-	21,26,250/-

ई-नीलामी की तिथि और समय : 10-06-2025, वेब-पोर्टल (https://www.bankauctions.in) पर अप. 3.00 बजे से 04:00 बजे तक, 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ।

ईएमडी और केवाईसी के साथ निर्धारित निविदा प्रपत्र में या तो ऑनलाइन माध्यम से अथवा उपरोक्त वर्णित जीआईसीएचएफ कार्यालय में निविदा / मुहरबंद बोली जमा करने की अंतिम तिथिः 09-06-2025 को सायं 5.00 बजे से पहले।

उपरोक्त परिसंपत्तियों / संपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री के लिए इस सार्वजनिक सूचना के अलावा (सरफेसी, अधिनियम 2002 और उसके तहत नियमों के नियमों और शर्तों के अनुसार) जीआईसीएचएफएल उक्त संपत्तियों को खरीदने के लिए सीलबंद लिफाफे/फों में या ऑनलाइन मोड में "जैसा है जहां है के आधार पर" और "जैसा है जो है के आधार पर" ऑफर आमंत्रित करती है।

नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं :-

1. ई-नीलामी **'जैसा है जहां है के आधार पर', 'जैसा है जो है के आधार पर', 'जो कुछ है'** और 'बिना किसी सहारा के' के आधार पर आयोजित की जा रही है और "ऑनलाइन" आयोजित की जायेगी। ई-नीलामी, जीआईसीएचएफ द्वारा अनुमोदित ई-नीलामी सेवा प्रदाता "मैसर्स.4 क्लोजर" के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
2. **इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम पोर्टल https://bankauctions.in/ पर पंजीकृत करना चाहिए और अपना यूजर-आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स 4क्लोजर,** # 605 **ए, 6वीं मंजिल मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदराबाद-** 500038, **तेलंगाना कार्यालय लैंड लाइन नंबरः** 040-23736405; **बैक एंड टीमः** 8142000062 / 66, **श्री प्रकाश** - 8142000064/8142000725, **prakash@bankauctions.in, श्री शैलेंद्र कुमार, सहायक प्रबंधक, मोबाइल नंबर** 9515160061, **ईमेल : shailendra@bankauctions.in से संपर्क कर सकते हैं, संपत्ति संबंधी पूछताछ हेतु इनसे संपर्क करें : प्रदीप सिंह** - 8851292527 / 6396538102,
3. ई-नीलामी बिक्री सरफॉएसि अधिनियम/नियमावली 2002 में निर्धारित शर्तों के अधीन है और यहां/वेबसाइट के तहत उल्लिखित नियम और शर्तें इच्छुक/भागीदारीकर्ता बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव/बोली दस्तावेजों की शर्तों के भी अधीन हैं।
4. ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने के लिए प्रत्येक बोलीदाता के पास अपना ईमेल पता होना आवश्यक है।
5. एक बार जब इच्छुक बोलीदाता औपचारिक रूप से जीआईसीएचएफ के अधिकृत अधिकारी के समक्ष एक योग्य निविदाकर्ता के रूप में पंजीकृत हो जाता है, तो उसे दस्तावेज़ जमा करके ई-नीलामी बोली मंच के माध्यम से भाग लेने के लिए अपनी रुचि व्यक्त करनी होगी। ई-नीलामी सेवा प्रदाता से अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना निविदाकर्ता/ऑनलाइन बोलीदाता की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।
6. उपरोक्त संपत्तियों को ऊपर उल्लिखित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा।
7. इच्छुक बोलीदाताओं को जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में डीडी/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से उपरोक्त संबंधित आरक्षित मूल्यों का 10 प्रतिशत बयाना राशि (ईएमडी) जमा करना आवश्यक है। **बैंक का नाम : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या : 005111010000039 - खाता नाम : जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड नीलामी खाता, शाखा का नाम : एलसीबी, फोर्ट पता : यूबीआई, 239 बैकबे रिक्लेमेशो नरीमन पॉइंट मुंबई महाराष्ट्र पिनकोड** 400021 **आईएफएससी कोड - यूबीआईएन0800511**
8. सफल बोलीदाताओं के मामले में उक्त जमा राशि को समायोजित किया जाएगा, अन्यथा वापस कर दिया जाएगा। उक्त बयाना राशि जमा पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।
9. उपरोक्त बयाना राशि (ईएमडी) के साथ प्रस्ताव को पोर्टल **https://bankauctions.in/** के माध्यम से **"ऑनलाइन"** जमा किया जा सकता है। ईएमडी और पैन कार्ड और पते के प्रमाण सहित केवाईसी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, सेवा प्रदाता को या बोली फॉर्म, ईएमडी और केवाईसी दस्तावेजों वाले सीलबंद कवर को जमा करके जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के संबंधित शाखा कार्यालयों तक ऊपर उल्लिखित है या ईएमडी जमा करने की नियत तिथि से पहले पहुंचनी चाहिए
10. कि, निविदाएं खोलने के बाद, इच्छुक बोलीदाताओं, जिन्होंने न्यूनतम आरक्षित मूल्य के बराबर की कीमत पर अपनी बोलियां जमा की हैं, को प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर बोली राशि बढ़ाने का अवसर दिया जाएगा।
11. सफल बोलीदाताओं को बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने पर तुरंत, पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करते हुए, बिक्री मूल्य की राशि का 25 प्रतिशत जमा करना होगा, अन्यथा जमा की गई बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। बिक्री मूल्य का शेष 75 प्रतिशत केवल प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर देय है। निर्धारित अवधि में शेष राशि जमा न करने की स्थिति में जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी को सफल बोली लगाने वाले को ज़ब्ती का कोई और नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होगी।
12. बोलीदाता "कैविएट एम्प्टर" (क्रेता सावधानी) के सिद्धांत से बंधे हैं और उन्हें सलाह दी जाती है कि वे किसी भी बाधा, वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, आयकर, उत्पाद शुल्क, श्रम बकाया, बिजली और रखरखाव का पता लगाने के लिए अपना उचित परिश्रम करें। फर्म या सुरक्षित संपत्ति का बकाया आदि। सफल बोलीदाताओं को सभी आउटगोइंग यानि नगरपालिका कर, रखरखाव/सोसाइटी शुल्क, बिजली शुल्क, जल शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, यदि कोई हो, और अन्य सभी आकस्मिक शुल्क, बिक्री मूल्य के अलावा संबंधित संपत्तियां लागत से संबंधित सभी आउटगोइंग सहित वहन करना होगा।
13. सफल बोलीदाता को बिक्री प्रमाणपत्र पर देय शुल्क/शुल्क, जैसे पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर, या सुरक्षित संपत्ति को उसके नाम पर स्थानांतरित करने के लिए देय कोई अन्य शुल्क वहन करना होगा।
14. बिक्री प्रमाणपत्र केवल सफल बोली लगाने वाले के नाम पर और संपूर्ण बिक्री मूल्य प्राप्त होने के बाद ही जारी किया जाएगा।
15. एतद्द्वारा उधारकर्ता, बंधककर्ता और गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि वे ई-नीलामी बिक्री के नियमों और शर्तों के अनुसार, ऊपर उल्लिखित संपत्तियों को खरीदने के लिए इच्छुक खरीदार/क्रेता को साथ ला सकते हैं।
16. उपरोक्त संपत्तियों का निरीक्षण करने का अवसर अनुरोध पर एवं प्राधिकृत अधिकारी की सुविधा के अनुसार दिया जा सकता है।
17. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव या किसी एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं और बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
18. जीआईसीएचएफएल ऊपर उल्लिखित संपत्तियों पर लंबित किसी भी तरह की देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी **"जैसा है जहां है", "जैसा है जो है", जो कुछ है" के आधार पर और बिना किसी शर्त के की जाएगी।**
19. यदि उधारकर्ता/बंधककर्ता बिक्री की पुष्टि से पहले जीआईसीएचएफएल से संपर्क करते हैं, तो अनुबंध संबंधी बकाया + व्यय + बिक्री की घोषणा की तिथि से 15: की दर से ब्याज + खरीद राशि का 5 प्रतिशत (बिक्री के बाद की स्थिति में जो सफल बोलीदाता को भुगतान किया जाना है) की पेशकश करते हैं और बिक्री को रद्द करने का अनुरोध करते हैं, तो जीआईसीएचएफएल राशि स्वीकार करेगी और बंधककर्ता को कब्ज़ा सौंप देगी।
20. उच्चतम बोलीदाता को बिक्री नोटिस के अनुसार बोली राशि के 25 प्रतिशत (जमा की गई बयाना राशि सहित) का तुरंत भुगतान करना होगा और बोली राशि का शेष 75 प्रतिशत राशि 15 दिनों में या पार्टियों (एओ और सफल बोलीदाता) के बीच सहमत किसी अन्य विस्तारित अवधि में देय होगा। हालाँकि, अधिकृत अधिकारी को बिक्री की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद बिक्री प्रमाण पत्र की पुष्टि करनी होगी और किसी भी मामले में बिक्री की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति से पहले बिक्री की पुष्टि नहीं की जानी चाहिए। पूर्ण भुगतान प्राप्त होने के बाद ही बिक्री की पुष्टि की जानी चाहिए और बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए।
21. **न्यूनतम बोली वृद्धि मूल्य रू. 10,000/- है।**

सरफॉएसि अधिनियम 2002 के अंतर्गत 30 दिवसीय साँविधिक विक्रय सूचना

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों और संपत्तियों के पूर्ण विवरण के लिए कृपया अनुमोदित ई-नीलामी सेवा प्रदात्री मैसर्स 4 क्लोजर की वेबसाइट https://bankauctions.in देखें।

कृते जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी

दिनाँक : 08-05-2025
स्थान : दिल्ली

फॉर्म डब्लूआईएन 43 [नियम 100 देखें]

क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय नई दिल्ली के समक्ष

एजीटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित कंपनी) के संबंध में

फाइल संख्या 5/RD(NR)/361/Summ.Pro/T83356857

लेनदारों और कामगारों को उनके दावे साबित करने के लिए सूचना का विज्ञापन

उपर्युक्त कंपनी के सभी लेनदारों (सुरक्षित और असुरक्षित), अधिमान्य लेनदारों के साथ-साथ कामगारों, यदि कोई हो, को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से संबद्ध आधिकारिक परिसमापक, दिल्ली के पास उपर्युक्त कंपनी के प्रति अपनी संबंधित ऋणों या दावों को साबित करने के लिए अपने संबंधित नाम, पते और विवरण और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326/327 के तहत प्राथमिकता का कोई दावा या टाइटल से शामिल फॉर्म डब्लूआईएन-44 में एक शपथ पत्र 12.06.2025 को या उससे पहले आधिकारिक परिसमापक के कार्यालय में सुपुर्द करें या डाक द्वारा आधिकारिक परिसमापक को इस तरह से भेजें ताकि वह उक्त तारीख तक उनके पास पहुँच जाये । कोई भी लेनदार (सुरक्षित और असुरक्षित), अधिमान्य लेनदार, साथ ही कामगार, यदि कोई हो, जो निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है, उसे उसके ऋण साबित होने से पहले, या जैसा भी मामला हो, लाभांश के ऐसे वितरण पर आपत्ति करने से या किसी भी लाभांश के वितरण के लाभ से बाहर रखा जाएगा।

कोई भी लेनदार (सुरक्षित और असुरक्षित), अधिमान्य लेनदार, साथ ही कामगार, यदि कोई हो, जिसने अपने साक्ष्य भेजे हों, यदि आधिकारिक परिसमापक, दिल्ली से लिखित सूचना द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि द्वारा ऐसे समय और स्थान पर ऐसे ऋण या दावे की जांच में उपस्थित होंगे जैसा कि ऐसे सूचना में निर्दिष्ट किया जाएगा और अपने ऋण या दावे का ऐसा और साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे जैसा आवश्यक होगा। कंपनी (समापन) नियम, 2020 के फॉर्म संख्या 44 डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट **www.mca.gov.in, www.delhiol.com** पर जाएं।

दिनांक 7 मई, 2025

हस्ता/-
(एस. मीनाक्षी)
आधिकारिक परिसमापक, दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय से संबद्ध
8वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
फोन नंबर 011-24693393-94

Dr Lal PathLabs

डॉ. लाल पैथलैब्स लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L74899DL1995PLC065388
पंजीकृत कार्यालयः ब्लॉक ई, सेक्टर-18, रोहिणी, नई दिल्ली-110085
कॉर्पोरेट कार्यालयः 12वीं मंजिल, टॉवर बी, एसएएस टॉवर, मेडिसिटी, सेक्टर-38, गुरुग्राम-122001, हरियाणा
दूरभाषः +91-124-3016500; **फैक्सः** +91-124-4234468
वेबसाइटः www.lalpathlabs.com; **ई.मेलः** cs@lalpathlabs.com

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानाकर्षण हेतु सूचना

इक्विटी शेयरों का इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) में स्थानांतरण करना

एतदद्वारा उन शेयरधारकों को सूचना दी जाती है जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 (अंतिम लाभांश) से अपने लाभांश का दावा/नकदीकरण नहीं किया है और यह लगातार सात वर्षों की अवधि के लिए अदावाकृत और अप्रदत्त रहा है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के साथ पठित समय-समय पर संशोधित आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अन्तरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 (आईईपीएफ नियम) के अनुसार, इक्विटी शेयर जिसके संबंध में शेयरधारकों द्वारा लगातार सात वर्षों तक लाभांश अदावाकृत और अप्रदत्त रहे हैं, उन्हें कंपनी द्वारा केंद्र सरकार के स्थापित आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित करने के लिए अधिदेशित किया गया है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 (अंतिम लाभांश) से अपने लाभांश का दावा न करने वाले सभी शेयरधारकों के शेयर आईईपीएफ में स्थानांतरित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

इस संबंध में, सभी संबंधित शेयरधारकों को कंपनी/डिपॉजिटरी के पास उपलब्ध उनके नवीनतम पते पर व्यक्तिगत नोटिस/पत्र भेजे गए हैं और ऐसे शेयरधारकों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.lalpathlabs.com पर प्रदर्शित किया जा रहा है। सभी संबंधित शेयरधारकों से एतदद्वारा पुनः अनुरोध किया जाता है कि कंपनी और/या इसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) यानी एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आवेदन करके 12 अगस्त, 2025 तक या उससे पहले अपने अदावाकृत लाभांश राशि का दावा करें। उपर्युक्त तिथि के बाद किए गए किसी भी दावे को वैध नहीं माना जाएगा और इसे रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि इस प्रकार आईईपीएफ को हस्तांतरित किये जाने के प्रस्ताव पर व्यक्तिगत राशि, शेयरों और उस पर होने वाले अन्य लाभों के संबंध में कंपनी या उसके आरटीए के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, यदि लाभांश और/या शेयर पहले से ही आईईपीएफ को स्थानांतरित कर दिया गया है तो शेयरधारक, आईईपीएफ नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने अदावाकृत लाभांश(शों) और शेयर(रों) का दावा कर सकते हैं।

विषय वस्तु पर अधिक जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए, आप cs@lalpathlabs.com पर ई-मेल भेजकर अधोहस्ताक्षरी या हमारे आरटीए, मैसर्स एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, पहली मंजिल, प्लॉट एनएच-2, सी-1 ब्लॉक, एलएससी सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, दूरभाषः 011-41410592, ई-मेलः iepf.shares@linkintime.co.in से संपर्क कर सकते हैं।

डा. लाल पैथलैब्स लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
विनय गुजराल
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

स्थानः गुरुग्राम
दिनांकः 07 मई, 2025

फेडरल बैंक

आपका सम्पूर्ण बैंकिंग भागीदार
एलसीआरडी डिविजन / नई दिल्ली, यू.जी.एफ., फेडरल टावर्स, 2/2, वेस्ट पटेल नगर, पटेल रोड, नई दिल्ली-110008
फोन नं.: 011-40733977, 78, 79 एवं 80 ई-मेल: ndllcrd@federalbank.co.in
CIN: L65191KL1931PLC000368 Website: www.federalbank.co.in

चल सम्पत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत चल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर (रों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित वाहन/प्रतिभूत आस्तियां **फेडरल बैंक लिमिटेड** (प्रतिभूत लेनदार) के पास बंधक/प्रभारित है, जिनका वास्तविक कब्जा **फेडरल बैंक लिमिटेड** (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 25-04-2025 को लिया जा चुका है - श्री/श्रीमती उमेश कुमार पुत्र भगवान राय मकान नं. ए-27/25, फ्लैट नंबर 17, साई अपार्टमेंट-1, खानपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110062 की तरफ **फेडरल बैंक लिमिटेड** (सुरक्षित लेनदार) की पर्सनल कार लोन खाता नंबर 13027400003958 के तहत 09-06-2025 तक बकाया राशि **रु. 8,13,334/- (रूपये आठ लाख तेरह हजार तीन सौ चौंतीस मात्र)** तथा उस पर वसूली की तिथि तक लागत और अन्य प्रभारों की वसूली के लिए **"जैसी है जहां है" और "जो कुछ भी है वहां है"** के आधार पर 10-06-2025 को बेची जाएगी।

सुरक्षित मूल्य **रू. 9,35,000/- (रूपये नौ लाख पैंतीस हजार मात्र)** और धरोहर राशि (ईएमडी) **रू. 93,500/- (रूपये तिरानवे हजार पांच सौ मात्र)** है, जो सुरक्षित मूल्य की 10: है। सुरक्षित मूल्य से नीचे की बोलियां तत्काल अस्वीकार कर दी जाएंगी।

वाहन/प्रतिभूत आस्ति का वर्णन

ह्यांडई वेन्यू 1.5 सीआरडीआई एमटी एस प्लस बीएस VI, रंग - पोलर व्हाइट, चेसिस नंबर - MALFC81DLNM345454, इंजन नंबर - D4FANM592806, 2022 माडल, डीजल, रजिस्ट्रेशन नंबर DL12CV7878

वाहन फेडरल बैंक के अधिकृत अधिकारी की देखरेख में बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता **मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट प्राइवेट लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर)** के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा बेचा जाएगा। ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तें युक्त ई-नीलामी निविदा दस्तावेज वेबसाइट : **https://federalbank.auctiontiger.net** पर उपलब्ध हैं। संभावित बोलीदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट प्राइवेट लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर), हेल्पलाइन नंबर : 9265